

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 82/2021

दायर दिनांक 23.07.2021

उनवान

1. बापूलाल पि. मानसिंह जाति भील नि. खारपाकलां तहसील पिडावा

- वादीगण

बनाम

1. प्रभूलाल पि. गंगाराम जाति भील नि. खारपाकलां तहसील पिडावा

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तहसील पिडावा

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति - वकील वादीगण - श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादीगण - एकतरफा

निर्णय

दिनांक 18.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम खारपाकलां तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2075-78 के खाता सं. 183 की आराजी किता 4 रकबा 6.4876 हेक्टर भूमि में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.01.2023 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी किस्म अनुसार उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार पिडावा द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/86 दिनांक 13.02.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जिस पर अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी की सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2023 अनुसार

वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम



U

उपखण्ड अधिकारी  
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)



1




खारपाकलां तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2075-78 के खाता सं. 183 की आराजी किता 4 रकबा 6.4876 हेक्टर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिरसा एवं अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी किरम अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किरम
1	प्रभूलाल पि. गंगाराम जाति भील नि. खारपाकलां रहन HDFC झालावाड	464	0.9611	बीड प्रथम
		638	0.0508	माल अलीफ
		639	0.9864	माल अलीफ
		65	1.2456	माल अलीफ
		किता 4	3.2437	
2	बापूलाल पि. मानसिंह जाति भील नि. खारपाकलां रहन ICICI झालावाड	464	0.9612	बीड प्रथम
		638	1.0370	माल अलीफ
		65	1.2457	माल अलीफ
				किता 3

तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिफ्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
 (दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)  
 उपखण्ड अधिकारी गंगधार  
 पिडावा, तहसील जलगाण (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार भीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 82/2021

दायर दिनांक 23.07.2021

उनवान

1. बापूलाल पि. मानसिंह जाति भील नि. खारपाकलां तहसील पिडावा  
- वादीगण

बनाम

1. प्रभूलाल पि. गंगाराम जाति भील नि. खारपाकलां तहसील पिडावा  
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तहसील पिडावा  
-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट


उपस्थिति - वकील वादीगण - श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादीगण - एकतरफा

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....मिनजाबिन

मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि - इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2023 अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम खारपाकलां तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2075-78 के खाता सं. 183 की आराजी किता 4 रकबा 6.4876 हेक्टर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी किस्म अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :-


क्र. सं.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1	प्रभूलाल पि. गंगाराम जाति भील नि. खारपाकलां रहन HDFC झालावाड़	464	0.9611	बीड प्रथम
		638	0.0506	माल अलीफ
		639	0.9864	माल अलीफ
		65	1.2456	माल अलीफ
		किता 4	3.2437	
2	बापूलाल पि. मानसिंह जाति भील नि. खारपाकलां रहन ICICI झालावाड़	464	0.9612	बीड प्रथम
		638	1.0370	माल अलीफ
		65	1.2457	माल अलीफ
		किता 3	3.2439	




4  
उपखण्ड अधिकारी  
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)


3

तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।


  
(दिनेश कुमार गीणा, आरएएस)  
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा  
जिला झालावाड राज०

निज .....X..... पुवालिक .....X..... वायत् पिडावा इजराय हुकमनाम (राज०)  
बषारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X.....  
अदा करूंगा।  
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.03.2025 को जारी किया  
गया।



  
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा  
जिला झालावाड राज०  
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)

मुद्रा	मुद्रा	मुद्रा	मुद्रा
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत-नेम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	वायत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	वायत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

  
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा  
जिला झालावाड, राज०  
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)